जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

जयपुर डिस्कॉम द्वारा ''लॉकडाउन अवधि के दौरान उपभोक्ताओं को दी जा रही राहत''

जयपुर, 20 अप्रेल। जयपुर डिस्कॉम द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को लॉकडाउन अवधि के दौरान विभिन्न प्रकार से राहत दी जा रही है। जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री ए.के.गुप्ता ने बताया कि लॉकडाउन अवधि के दौरान उपभोक्ताओं की सुविधा के मद्‌दनजर जयपुर डिस्कॉम द्वारा राहत प्रदान की गई है, जिसके तहत–

- लॉकडाउन के कारण सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं की मीटर रीडर्स के द्वारा मीटर रीडिंग नही हो पा रही है, अतः अप्रैल व मई माह में **बिल पिछले 4 माह के औसत उपभोग के आधार पर जारी होगें** जिनका समायोजन मीटर रीडिंग उपलब्ध होने पर हो सकेगा तथापि उपभोक्ता रीडिंग दर्षाते हुए अपने **मीटर की फोटो मोबाईल पर भेज कर मीटर रीडिंग अनुसार बिल प्राप्त कर सकते है** उपभोक्ता द्वारा इस प्रकार **मीटर रीडिंग मोबाईल फोन पर भेजने पर उन्हे विद्युत राषि + स्थाई प्रभार राषि की 1 प्रतिषत (अधिकतम रू 50.00) राषि की रिबेट** आगामी बिल मे दी जावेगी।
- औद्योगिक व अघरेलू (व्यावसायिक) उपभोक्ताओं को माह अप्रैल व मई में जारी होने वाले बिलों में लोक–डाउन अवधि का फिक्सड चार्ज (अस्थाई प्रभार) के भुगतान को 31 मई तक स्थगित किया गया है।
- कृषि उपभोक्ताओं के मार्च, अप्रैल व मई के बिलों के भुगतान को 31 मई तक स्थगित किया गया है। इसी प्रकार 150 यूनिट प्रति माह तक उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के अप्रैल व मई के बिलों के भुगतान को भी 31 मई तक स्थगित किया गया है।
- जो कृषि व घरेलू उपभोक्ता 31 मई तक बिलों की राषि का भुगतान ऑनलाईन करेगें उन्हे **विद्युत राषि + स्थाई प्रभार की** भुगतान की गई राषि की 5 प्रतिषत राषि की रिबेट आगामी बिल में दी जावेगी। यह राषि प्रॉम्पट रिबेट के अतिरिक्त होगी।
- कृषि व घरेलू उपभोक्ताओं के अतिरिक्त शेष सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा 31 मई से पूर्व ऑनलाईन भुगतान करने पर 1 प्रतिषत राषि की रिबेट आगामी बिल में दी जावेगी। यह राषि प्रॉम्पट रिबेट के अतिरिक्त होगी।
- लॉक–डाउन अवधि के दौरान ऑनलाईन बिल भुगतान करने पर उपभोक्ता को किसी प्रकार का प्रौसेसिंग चार्ज नहीं करना होगा। डेबिट/क्रेडिट कार्ड से रू. 5000/ तक की राषि का भुगतान करने पर प्रौसेसिंग चार्ज उपभोक्ताओं से नहीं लिया जावेगा।
- 31 मई तक बिल राषि भुगतान न कर पाने के कारण कोई कनेक्षन नहीं काटा जावेगा।
- कृषि एवं घरेलू उपभोक्ता जिनके कनेक्षन 31.03.2019 से पूर्व से कटे हुए है उनके लिए ऐमेनेस्टी योजना 30.06.2020 तक बढ़ा दी गई है। वे बिलम्ब शुल्क व ब्याज की छूट का लाभ उठाते हुए मूल बकाया जमाकर पुनः कनेक्षन करा सकते है।

- उपभोक्ता बिल राषि का पार्ट पेमेन्ट या अधिक राषि का भुगतान भी ऑनलाईन करा सकते है।
- मोबाईल फोन पर मीटर रीडिंग सहित मीटर का फोटो भेजने हेतु जयपुर डिस्कॉम के मोबाईल नम्बर निम्नानुसार है

जयपुर जोन के उपभोक्ताओ हेतु	:	94133–75901
कोटा जोन के उपभोक्ताओं हेतु	:	94133–75881
भरतपुर जोन के उपभोक्ताओं हेतु	:	94133–75882

- डुप्लीकेट बिल, बिल डाउन लोड, मीटर रीडिंग भेजने व बिल भुगतान हेतु निम्न एप, वेबसाईट का उपयोग कर सकते है।

(i) http:/www.bijlimitra.com/selfservice
(ii) bijlimitra.com/consumerLogin
(iii) बिजली मित्र एप

विद्युत उपभोक्ताओं से अपील है कि जयपुर डिस्कॉम द्वारा प्रदान की जा रही राहत का अधिक से अधिक लाभ उठावें।

—————————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 966/2020